



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2019/श्रावण 8, 1941

No. 280]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2019/SHRAVANA 8, 1941

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 25 जुलाई, 2019

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/10/161/2019—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (जेडबी) और (जेडडी) के साथ पठित धारा 101बी की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 25 के अधीन गठित बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019 कहलाएँगे।
- 2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ

- 1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - क) “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
 - ख) “प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - ग) “समिति” से अधिनियम की धारा 101बी की उप-धारा (1) के अधीन गठित पुनर्बीमा सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

- घ) “अध्यक्ष” से समय-समय पर प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा यथानियुक्त समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है तथा इसमें इन विनियमों के विनियम 6(5) के अधीन कार्यकारी अध्यक्ष सम्मिलित है;
- ङ) “सदस्य” से अध्यक्ष सहित, समिति का सदस्य अभिप्रेत है;
- च) “गणपूर्ति” (कोरम) से इन विनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार समिति की किसी भी बैठक का कार्य संचालित करने के लिए उपस्थित होने के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या अभिप्रेत है;
- छ) “सचिव” से समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित प्राधिकरण का अधिकारी अभिप्रेत है;
- ज) “कुल संख्या” से संबद्ध समय पर विद्यमान समिति के सदस्यों की कुल संख्या अभिप्रेत है;
- 2) इन विनियमों में प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित, परंतु अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उक्त अधिनियम अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. उद्देश्य

इन विनियमों का उद्देश्य पुनर्बीमा सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन प्रभावी ढंग से करना तथा अधिनियम की धारा 101ए के अंतर्गत विनिर्देश विषयों के अलावा अन्य पुनर्बीमा संबंधी विषयों पर समिति के परामर्श की अपेक्षा करना है।

4. पदावधि

- 1) समिति के सदस्यों की पदावधि सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए हो सकती है। परंतु प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यकता के आधार पर, कारण दर्ज करते हुए, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पदावधि को बढ़ा सकता है।
- 2) पद से मुक्त होनेवाले सभी सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होंगे।

5. त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियाँ भरना

- 1) कोई भी सदस्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखित रूप में सूचना देकर समिति से त्यागपत्र दे सकता है तथा ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जब वह स्वीकृत किया जाता है।
- 2) समिति में कोई भी आकस्मिक रिक्ति चाहे त्यागपत्र, मृत्यु अथवा अन्य कारण से बनती हो, प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामांकन से भरी जाएगी तथा इस प्रकार आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए नामित कोई भी ऐसा व्यक्ति उस सदस्य की पदावधि की समाप्ति तक उस पद पर रहेगा जिसके स्थान पर उसका नामांकन किया गया हो।

6. समिति की बैठक के आयोजन के लिए प्रक्रिया

- 1) समिति की बैठक – समिति की बैठक आवश्यक समझे गये रूप में वारंवारता के साथ, भारत में ऐसे स्थानों पर तथा ऐसे समय पर आयोजित की जा सकती है जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्णय किया जाएगा।
- 2) बैठक की सूचना – अध्यक्ष की सलाह पर समिति की किसी भी बैठक की सूचना कार्यसूची के साथ सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम सात दिन पहले भेजी जाएगी। सूचना और कार्यसूची सदस्यों को वैयक्तिक तौर पर प्राप्ति-स्वीकृति लेकर वितरित की जा सकती हैं अथवा पंजीकृत डाक से अथवा कूरियर सेवा से प्रेषित की जा सकती हैं अथवा किसी अन्य सुरक्षित और विश्वसनीय आधुनिक संचार के माध्यम से प्रेषित की जा सकती हैं जो फिलहाल प्रचलित किसी कानून द्वारा मान्यताप्राप्त हो। बैठक की कार्यसूची में शामिल न की गई कोई मद बैठक के अध्यक्ष के अनुमोदन से उठाई जा सकती है।
- 3) बैठक की गणपूर्ति (कोरम) – बैठक के लिए तीन सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) होगी।
बशर्ते कि जहाँ किसी भी समय समिति की कुल संख्या तीन अथवा तीन से कम है (तथापि दो से कम नहीं), वहाँ बैठक के लिए दो सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) होगी।
- 4) बैठक का स्थगन – यदि किसी बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के अंदर अपेक्षित गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित नहीं हो, तो उपस्थित सदस्य उसी दिन ऐसे समय तक अथवा ऐसे समय और तारीख तक बैठक स्थगित करेगा/करेंगे जैसा कि उपस्थित सदस्य अथवा सदस्यों, जैसी स्थिति हो, द्वारा निर्णय किया जाएगा।
- 5) अध्यक्ष – समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो, तो उपस्थित सदस्य उस बैठक के लिए उपस्थित सदस्यों में से कार्यकारी अध्यक्ष को चुनेंगे।

- 6) बैठक में निर्णय – समिति के द्वारा निर्णय लेने के लिए अपेक्षित सभी विषयों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के द्वारा लिया जाएगा।
- 7) कार्यवृत्त – अध्यक्ष के द्वारा पुष्टीकृत रूप में कार्यवृत्त सचिव के द्वारा कार्यवृत्त की पुस्तिका (मिनट्स बुक) में प्रविष्ट किया जाएगा, जिसपर अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त सचिव द्वारा बैठक के अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्यों के बीच परिचालित किया जाएगा।
- 7. सदस्यों को देय भत्ते**
प्रत्येक सदस्य प्राधिकरण से व्ययों की प्रतिपूर्ति, बैठक शुल्क और प्रासंगिक व्ययों आदि के लिए समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार हकदार होगा।
- 8. निरसन और बचत**
ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2001 को निरस्त करते हैं।
- 9. प्राधिकरण की शक्ति**
इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसके अर्थनिर्णय में उत्पन्न होनेवाली शंकाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

डॉ. सुभाष सी. खुंटिआ, अध्यक्ष
[विज्ञापन. III/4/असा./160/19]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 25th July, 2019

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance Advisory Committee)
Regulations, 2019.**

F. No. IRDAI/Reg/10/161/2019/— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 101B, read with clause (zb) and (zd) of sub section (2) of section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee constituted under section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement

- 1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance Advisory Committee) Regulations, 2019.
- 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- 1) In these regulations, unless the context otherwise requires: -
 - a) “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
 - b) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
 - c) “Committee” means the Re-Insurance Advisory Committee constituted under sub-section (1) of section 101B of the Act;
 - d) “Chairman” means the Chairman of the Committee as appointed by the Chairperson of the Authority from time to time and includes the Acting Chairman under regulation 6(5) of these regulations;
 - e) “Member” means a Member of the Committee, including the Chairman;
 - f) “Quorum” means the minimum number of Members required to be present for transacting the business of any meeting of the Committee, as provided in these regulations;

- g) "Secretary" means an officer of the Authority nominated by the Chairperson of the Authority, to act as secretary to the Committee;
 - h) "Total strength" means the total number of Members of the Committee existing at the relevant time.
- 2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, Rules or Regulations made thereunder shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act or Rules or Regulations.

3. Objective

The objective of these regulations is to conduct the meetings of Re-Insurance Advisory Committee effectively and to seek advice of the Committee on other reinsurance related matters apart from those specified under section 101A of the Act.

4. Term of Office

- 1) The term of office of Members of the Committee may normally be for a period of three years. However, the Chairperson of the Authority, based on the necessity, by recording the reasons, may extend the term for a period not exceeding one year.
- 2) All outgoing Members shall be eligible for re-nomination.

5. Resignation and filling of casual vacancies

- 1) Any Member may resign from the Committee by giving a notice in writing addressed to the Chairperson of the Authority and such resignation shall take effect from the date on which it is accepted.
- 2) Any casual vacancy in the Committee whether caused by resignation, death or otherwise, shall be filled by nomination by the Chairperson of the Authority and any such person so nominated to fill the casual vacancy shall hold office until the expiry of the term of office of the Member in whose place the nomination is made.

6. Procedure for conduct of the meeting of the Committee

- 1) *Meeting of the Committee* - The Committee may meet as often as may be considered necessary, at such places within India and at such times as may be decided by the Chairman.
- 2) *Notice of the meeting* - On the advice of the Chairman, notice of any meeting of the Committee shall be sent along with the agenda, by the Secretary to every Member, at least seven days before the date scheduled for the meeting. The notice and agenda may be delivered to the Members personally upon acknowledgement or despatched by registered post or courier service or transmitted through any other secure and reliable modern means of communication, as may be recognised by any law for the time being in force. Any item not included in the agenda of a meeting may be taken up with the approval of the Chairman of the meeting.
- 3) *Quorum of the meeting* - Three Members shall constitute quorum for a meeting.

Provided that where at any time, the total strength of the Committee is three or less than three (however, not less than two), two Members shall constitute quorum for a meeting.

- 4) *Adjournment of a meeting* – If the requisite quorum is not present within half an hour of the appointed time for a meeting, the Member or Members present shall adjourn to such time on the same day or at such time and date as may be decided by the Member or Members present, as the case may be.
- 5) *Chairman* – Every meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman. In case the Chairman is not present, the Members present shall elect the Acting Chairman for that meeting from amongst the Members present.
- 6) *Decision at a meeting* - All matters required to be decided by the Committee shall be decided by the majority of the Members present.
- 7) *Minutes* - The minutes as confirmed by the Chairman shall be entered in the minutes book by the Secretary, which shall be signed by the Chairman. The minutes of proceedings of every meeting shall be circulated by the Secretary, to the Members with the approval of the Chairman of the meeting.

7. Allowances payable to Members

Every Member shall be entitled for reimbursement of expenses, sitting fees and incidentals, etc. from the Authority, as per the stipulations made in this behalf by the Authority from time to time.

8. Repeal and Savings

These regulations repeal the Insurance Regulatory and Development Authority (Re-insurance Advisory Committee) Regulations, 2001.

9. Power of the Authority

In order to remove doubts or difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications as deemed necessary.

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./160/19]